



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15022025-261084
CG-MH-E-15022025-261084

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2025/माघ 24, 1946

No. 113]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025/MAGHA 24, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 13 फरवरी, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(विनियम बनाने, उनमें संशोधन करने और उनकी समीक्षा करने की प्रक्रिया) विनियम, 2025

विनियम बनाने की प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु और पारदर्शिता के उद्देश्य से अनिवार्य रूप से आम जनता से परामर्श लेने तथा हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) को शामिल करने हेतु और इनसे जुड़े मामलों के संबंध में प्रावधान करने हेतु विनियम

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/229.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,—

अध्याय- I**प्रारंभिक****1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

- (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विनियम बनाने, उनमें संशोधन करने और उनकी समीक्षा करने की प्रक्रिया) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।
- (2) ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि उनका संदर्भ कुछ और न हो, तब तक उनका अर्थ निम्नानुसार रहेगा,-
 - (क) “अधिनियम” का अर्थ होगा - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15);
 - (ख) “बोर्ड” का अर्थ होगा - अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी);
 - (ग) “आम जनता की टिप्पणियों” का अर्थ होगा - बोर्ड के किसी भी प्रस्ताव के संबंध में भारत के प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी व्यक्ति [जिसमें शामिल हैं - निवेशक, इश्युअर (निर्गमकर्ता), बोर्ड द्वारा विनियमित (रेग्युलेटेड) व्यक्ति, संगठन, विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) और जनहित में कार्य करने हेतु जुटी संस्थाएँ आदि] की ओर से मिले फीडबैक व सुझाव या उनके द्वारा जताई गई आपत्तियाँ;
 - (घ) “विनियमों” का अर्थ होगा - अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉण्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] [1956 का 42], निक्षेपागार अधिनियम, 1996 [डिपॉजिटरीज़ एक्ट, 1996] [1996 का 22], कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए या जिस कानून के तहत बोर्ड को शक्तियाँ और विशेष कार्य सौंपे गए हों उस कानून के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम (रेग्यूलेशन्स), और जिनके अंतर्गत पहले से मौजूद विनियमों में किए गए संशोधन भी शामिल होंगे।
- (2) इन विनियमों में उपयोग किए गए तथा अपरिभाषित, किंतु अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22), कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), या उनके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में परिभाषित शब्दों आदि के वही अर्थ होंगे, जो, यथास्थिति, उन अधिनियमों या उनके तहत किए गए किन्हीं संशोधनों आदि में उनके लिए दिए हुए हैं।

अध्याय- II**विनियम बनाना****3. विनियम बनाना**

बोर्ड ऐसे विनियम बना सकेगा, जो अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22), कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), या फिर किसी अन्य कानून (जिसके तहत बोर्ड को विशेष शक्तियाँ सौंपी गई हों और विशेष कार्य सौंपे गए हों) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाने जरूरी हों।

4. आम जनता से परामर्श लेना

- (1) विनियम बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड का संबंधित विभाग (बोर्ड के संबंधित विभाग) आम जनता से टिप्पणियाँ मंगाने के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर यह जानकारी देगा (देेंगे) कि: -

- (क) क्या नीतिगत बदलाव किए जाने का प्रस्ताव है (के प्रस्ताव हैं), जिसमें (जिनमें) प्रस्तावित विनियमों का मसौदा (ड्राफ्ट) भी शामिल है;
 - (ख) किस कानूनी प्रावधान के तहत विनियम बनाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है;
 - (ग) विनियम किस विनियामक (रेग्यूलैटरी) इरादे या उद्देश्य से लाए जा रहे हैं; और
 - (घ) आम जनता अपनी टिप्पणियों से कैसे व कब तक अवगत कराएंगी, और उसकी प्रक्रिया क्या होगी।
- (2) आम जनता से टिप्पणियाँ मंगाने के लिए आमतौर पर कम से कम 21 कैलेंडर दिनों का समय दिया जाएगा।
- (3) आम जनता से टिप्पणियाँ प्राप्त होने के बाद, यदि टिप्पणियों के अनुसार कोई बदलाव आदि न किया जाए, तो ऐसे में संबंधित विभाग (विभागों) को बोर्ड की वेबसाइट पर यह बताना होगा कि ऐसा करने के पीछे क्या तर्क है।

5. विनियमों को मंजूरी

- (1) बोर्ड प्रस्तावित विनियम और उनसे संबंधित कार्य-सूची के कागज़ात (एजेंडा पेपर) पर विचार-विमर्श भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) विनियम, 2001 के अनुसार करेगा।
- (2) यदि कार्य-सूची के कागज़ात (एजेंडा पेपर) आम जनता से परामर्श लेने की प्रक्रिया अपनाने के बाद तैयार किए गए हों, तो ऐसे में प्राप्त टिप्पणियाँ भी उनके साथ सुव्यवस्थित तरीके से लगाई जाएंगी या फिर उनके साथ उन टिप्पणियों का सार प्रस्तुत किया जाएगा, और साथ ही साथ बोर्ड का (के) संबंधित विभाग (विभागों) को भी उन टिप्पणियों पर अपनी राय रखनी होगी।

6. अत्यावश्यकता की परिस्थिति में विनियम बनाना

जहाँ निवेशकों के हित में तथा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के विनियमन (रेग्यूलेशन) एवं विकास के मद्देनज़र बोर्ड की यह राय हो कि यदि आम जनता से परामर्श लेने की प्रक्रिया अपनाने की वजह से प्रस्तावित विनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष या तो आम जनता से परामर्श लेने की प्रक्रिया अपनाने से छूट प्रदान कर सकेगा या फिर आम जनता से टिप्पणियाँ मंगाने की समय-सीमा घटा सकेगा:

परंतु यह कि जिन मामलों में या तो आम जनता से परामर्श लेने की प्रक्रिया अपनाने से छूट प्रदान की गई हो या फिर आम जनता से टिप्पणियाँ मंगाने की समय-सीमा घटाई गई हो, उन मामलों की जानकारी बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय- III

विनियमों में संशोधन करना और उनकी समीक्षा करना

7. विनियमों में संशोधन करना

पहले से मौजूद विनियमों में संशोधन करने के संबंध में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसका जिक्र अध्याय-II में किया गया है, बशर्ते कि विनियम 6 और विनियम 9 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

8. विनियमों की समीक्षा करना

बोर्ड का संबंधित विभाग (के संबंधित विभाग) लागू विनियमों की समय-समय पर समीक्षा करता रहेगा (करते रहेंगे), और ऐसा करते समय वह (वे) :-

- (क) विनियमों के उद्देश्यों पर अवश्य गौर करेगा (करेंगे);
- (ख) इस बात पर भी गौर करेगा (करेंगे) कि निगरानी, पर्यवेक्षण (सुपरविज़न) और प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) कार्रवाईयों की प्रक्रिया के दौरान क्या अनुभव रहा;
- (ग) इस बात पर भी गौर करेगा (करेंगे) कि न्यायालयों और न्यायाधिकरणों (ट्रायब्युनल) द्वारा क्या-क्या अहम आदेश पारित किए गए;

- (घ) इस बात पर भी गौर करेगा (करेंगे) कि दुनियाभर में क्या-क्या बेहतरीन पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं (यदि ऐसा कुछ लागू हो, तो);
- (ङ) इस बात पर भी गौर करेगा (करेंगे) कि बदले हुए माहौल के हिसाब से कोई बदलाव करना जरूरी तो नहीं हो गया है;
- (च) उन प्रावधानों आदि को हटाने पर भी गौर करेगा (करेंगे) जो उसे (उन्हें) अनावश्यक लग रहे हों, और साथ ही कामकाज करना आसान बनाने के उद्देश्य से भी बदलाव करने पर गौर करेगा (करेंगे); और
- (छ) दूसरी जरूरी बातों पर भी गौर करता रहेगा (करते रहेंगे), जो बोर्ड को जरूरी लगें।

अध्याय-IV

विविध

9. कुछ मामलों के संबंध में प्रावधानों का लागू न होना

- (1) इन विनियमों में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, इन विनियमों के प्रावधान –
- (क) बोर्ड के आंतरिक मामलों (जिनमें शामिल हैं – इसकी बैठकें आयोजित किए जाने से संबंधित मामले, प्रशासनिक मामले और इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तों से संबंधित मामले) पर लागू नहीं होंगे;
- (ख) उन विनियमों के मामले में लागू नहीं होंगे जो प्रक्रिया से जुड़े छोटे-मोटे बदलाव करने से ही संबंधित हों, या फिर उन विनियमों के मामले में लागू नहीं होंगे जिनके बारे में अध्यक्ष की यह राय हो कि उन विनियमों की वजह से कोई बड़ा नीतिगत बदलाव नहीं हो रहा;
- (ग) इन विनियमों में होने वाले किसी भी संशोधन के मामले में लागू नहीं होंगे; और
- (घ) उन प्रस्तावों के मामले में लागू नहीं होंगे जिनके संबंध में आम जनता से टिप्पणियाँ इन विनियमों के लागू होने की तारीख से पहले ही मंगवाई जा चुकी हों या प्राप्त हो चुकी हों या फिर उन विनियमों के मामले में लागू नहीं होंगे जिनके संबंध में इन विनियमों के लागू होने की तारीख से पहले ही बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई हो किंतु जो अभी अधिसूचित न हुए हों।
- (2) बोर्ड को उन मामलों से अवगत कराया जाएगा, जहाँ इन विनियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया उप-विनियम (1) के अनुसार लागू न होती हो।

10. पहले के प्रावधानों या उनके तहत की गई कार्रवाई पर असर न पड़ना

- (1) इन विनियमों के लागू होने की तारीख को जितने भी विनियम पहले से लागू हों, वे तब तक मान्य रहेंगे जब तक कि उनमें संशोधन न कर दिया जाए, उन्हें निरस्त न कर दिया जाए या उनके स्थान पर कोई नए प्रावधान न लाए जाएँ।
- (2) बोर्ड द्वारा बनाए गए कोई भी विनियम या उन विनियमों के तहत की गई कोई भी कार्रवाई केवल इस वजह से अमान्य नहीं हो जाएगी कि उनके संबंध में इन विनियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./972/2024-25]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 13th February, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROCEDURE FOR MAKING, AMENDING AND REVIEWING OF REGULATIONS) REGULATIONS, 2025

A regulation for specifying the process of regulation making and for mandating the public consultation and engagement of stakeholders in the interest of transparency and for matters incidental or connected therewith.

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/229 — In exercise of the powers conferred by section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following regulations, namely, -

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title and commencement

- (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Procedure for making, amending and reviewing of Regulations) Regulations, 2025.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -
 - (a) “Act” means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
 - (b) “Board” means the Securities and Exchange Board of India established under sub-section (1) of section 3 of the Act;
 - (c) “public comments” means the feedback, suggestions or objections received on any proposal of the Board, from any person including investors, issuers, persons regulated by the Board, organizations, regulatory authorities and public interest groups, engaged directly or indirectly in the Indian securities market;
 - (d) “regulations” means the “regulations” framed by the Board in exercise of the powers conferred under the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or under any enactment conferring powers and specific functions on the Board and shall also include amendment(s) made to an existing regulations.
- (2) Words and expressions used but not defined in these regulations, but defined in the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or in the rules and regulations made thereunder, shall have the respective meanings assigned to them in such enactments or any amendments or re-enactments thereof, as the case may be.

**CHAPTER II
FRAMING OF REGULATIONS**

3. Framing of regulations

The Board may make regulations as are necessary to carry out the purposes of the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or any other enactment that confers specific powers and functions on the Board.

4. Public Consultation

- (1) For the purpose of making regulations, the concerned Department(s) of the Board shall publish the following on its official website to seek public comments: -
 - (a) the proposal(s) containing the suggested changes to the policy, which shall include the draft of the proposed regulations;
 - (b) the statutory provision enabling the proposed regulations;

- (c) a statement of the regulatory intent and objectives of the proposed regulations; and
 - (d) the manner, process and timelines for receiving public comments.
- (2) A minimum of 21 calendar days shall ordinarily be provided for receiving public comments.
- (3) On receipt of public comments, the rationale for rejection, if any, of comments shall be published by the concerned Department(s) on the official website of the Board.

5. Approval of Regulations

- (1) The proposed regulations and the related agenda paper shall be considered by the Board in terms of the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Board Meetings) Regulations, 2001.
- (2) If the agenda paper has been prepared pursuant to a public consultation, it shall include a systematic compilation of comments received or a summary of such comments, and the remarks thereon of the concerned Department(s) of the Board.

6. Regulations in case of exigency

Where the Board is of the opinion that it is expedient in the interest of the investors and the regulation and development of the securities market that the adherence to the public consultation process would defeat the purpose of the proposed regulation, the Chairperson may dispense with the process of public consultation or reduce the time period for receiving public comments:

Provided that the information in respect of matters where public consultation has been dispensed with or where the time period for public consultation has been reduced, shall be placed before the Board.

CHAPTER III AMENDMENT AND REVIEW OF REGULATIONS

7. Amendment of Regulations

Subject to the provisions of regulations 6 and 9, an amendment to the existing regulations shall follow the same procedure as specified in Chapter II.

8. Review of Regulations

The concerned Department(s) of the Board shall periodically review the regulations that are in force keeping in view:-

- (a) their stated objectives;
- (b) experience gained through surveillance, supervision and enforcement actions;
- (c) the relevant orders passed by courts or tribunals;
- (d) global best practices, if applicable;
- (e) the relevance and needs of a changed environment, if any;
- (f) the scope for reducing redundancies and promoting ease of doing business; and
- (g) any other factor as deemed relevant by the Board.

CHAPTER IV MISCELLANEOUS

9. Non-applicability on certain matters

- (1) Notwithstanding anything contained in these regulations, the provisions of these regulations shall not be applicable to –
- (a) the internal organizational matters of the Board, including those governing the conduct of its meetings, administration and service conditions of its officers and employees;
 - (b) regulations that only relate to procedural requirements or that which in the opinion of the Chairperson do not result in any substantive policy changes;
 - (c) any amendment to these regulations; and

- (d) proposals for which public comments have already been sought or received or to those regulations which are approved by the Board but not yet notified, prior to the coming into force of these regulations.
- (2) The Board shall be informed of matters where the procedure laid down in these regulations is not made applicable in terms of sub-regulation (1).

10. Savings

- (1) Regulations which are in force as on the date of coming into force of these regulations shall remain valid unless amended, repealed or substituted.
- (2) No regulations framed by the Board or any action taken under the said regulations shall be invalid merely by reason of non-adherence to the procedure specified in these regulations.

BABITHA RAYUDU, Executive Director
[ADVT.-III/4/Exty./972/2024-25]